मनोरंजन एवं पर्यटन

उसके निर्देश एवं शरई नियम

मौजूदा दौर में पैदा होने वाली समस्याओं के इस्लामी हल के लिए स्थापित संस्था इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का बीसवाँ इन्टरनेशनल फ़िक्ही सेमिनार प्रसिद्ध इतिहासिक शहर रामपुर में दिनांक 5-7 मार्च 2011 ई0 को आयोजित हुआ, इस सेमिनार में दूसरे मुद्दों के साथ मनोरंजन एवं पर्यटन - सम्बन्धी दिशा- निर्देश एवं शरई नियम के बारे में भी चर्चा की गयी और आम सहमति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए।

1- फ़िल्म निर्माण, कार्टून और ड्रामा

1- निर्जीव वस्तुएं जैसे इतिहासिक स्थल और प्राकृतिक दृश्यों की फ़िल्म बनाना जायज़ है।

2- मनोरंजन के उद्देश्य के लिए निर्जीव की फ़िल्म बनाना जायज़ है।

3- शैक्षिक सुधार हेतु और दावती उद्देश्यों के लिए फ़िल्म बनाना और उससे लाभ उठाने की गुंजाइश है चाहे उसमें किसी जीव का प्रतिबिम्ब आ गया हो।

4- ऐसी चित्रकारी जिनमें किसी महिला की तस्वीर हो या नबियों व सहाबा की तमसील (उपमा) हो या अन्य कोई शरई बुराई हो, बनाना और उनको देखना जायज़ नहीं है।

5- ऐसे कार्टून जिनमें हाव भाव स्पष्ट हों वे तस्वीर समझे जाएंगे और नाजाइज़ हैं।

6- ऐसे कार्टून बनाना जिससे किसी का अपमान अभिप्राय हो जायज़ नहीं है यद्यपि उसमें हाव भाव स्पष्ट न हों।

7- ऐसे कार्टून जो नग्नता पर आधारित हों या बुराई को बढ़ावा दे रहे हों वे भी जायज़ नहीं हैं।

8- प्रशिक्षण के उद्देश्य से बच्चों के लिए ऐसे कार्टून बनाना जिनमें हाव भाव स्पष्ट न हों और बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक, नैतिक और भाषा के दृष्टिकोण से लाभकारी हों जायज़ हैं।

9- कार्टून बनाने की जो शक्लें जायज़ हैं उनको आय का साधन बनाने और इस उद्देश्य के लिए नौकरी करने की गुंजाइश है।

10- अच्छे कामों को बढ़ावा देना और समाज में मौजूद बुराइयों पर आलोंचना सम्बन्धी संवाद के लिए स्टेज शो किए जा सकते हैं बशर्ते कि इसमें संगीत या किसी का चरित्रहनन या मर्द औरत का मेल जोल या नबियों, फ़रिश्तों और सहाबा की तमसील (उपमा) न हो और ग़ैर शरई और अनैतिक बातों से मुक्त हो।

2- हास्य

अ- हास्य जायज़ है बशर्ते कि वह झूठ, अश्लील और उपहास और यातना पर आधारित न हो।

ब- ऐसे हास्य प्रोग्राम या हास्य मुशायरे जिनसे दीनी या सांसारिक मामले प्रभावित हों जायज़ नहीं हैं।

स- चुटकुले सुनाना या हासस्य लेख लिखना और इसे रोज़ी रोटी का साधन बना लेना उचित नहीं है।

द- ऐसे प्रोग्राम जिनका उद्देश्य केवल हंसना हंसाना हो शरीअत के स्वभाव के विरुद्ध है, अलबत्ता उपचार हेतू इसकी गुंजाइश है।

3- पर्यटन (सैर सपाटा)

अ- फ़िज़ूल खर्ची से बचते हुए तफ़रीह के उद्देश्य के लिए एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश की यात्र करना जायज़ है।

ब- ऐसे स्थान जहां जान या इज्ज़त व आबरू की सुरक्षा ख़तरे में हो, वहां न स्वयं जाना ठीक है और न घर परिवार वालों को साथ ले जाना ठीक है।

स- मनोरंजन के लिए ऐसे स्थानों पर जाना जहां ग़ैर शरई कामों का ज़ोर हो जायज़ नहीं है लेकिन ऐसे स्थानों पर जाने वालों को सवारी किराए पर देने या खाने पीने की चीज़े बेचने के लिए दुकान लगाने की गुंजाइश है।

द- जायज़ उद्देश्यों के लिए ट्रेवल्स कम्पनियों की स्थापना ठीक है।

ध- पर्यटन का सम्बन्ध धार्मिक, सांसक्रतिक, सभ्यता के रिश्तों को सबल बनाने, अपने गुज़रे हुए लोगों के कारनामों को उजागर करने और धार्मिक व राष्ट्रीय इतिहास से अवगत कराने से है इसलिए जो मुसलमान इस व्यवसाय से जुडे हुए हैं, उनसे अपील की जाती है कि वे मुसलमानों के लिए इस्लामी दृष्टिकोण से इन उद्देश्यों को पूरा करनेवाले ऐसे पैकेज तैयार करें ताकि मुस्लिम नौजवानों को आवारगी और निराश से बचाया जा सके और ग़ैर-मुस्लिम भाइयों के सामने भी मुसलमानों की सही तस्वीर आ सके।

4- खेल कूद

अ- ऐसे खेल जो मनुष्यों के व्यापक हितों में हों, जिनसे शारीरिक शक्ति, चुस्ती और सुखों में वृद्धि होती हो जायज़ हैं बशर्ते कि वे बुराइयों से मुक्त हों। दीनी या सांसारिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से अचेतना या किसी भी जीवधारी की यातना का कारण न हों।

ब- आम हालात में शरीअत ने मर्द व औरत के शरीर को ढांपने के लिए जो नियम नियुक्त किए हैं खिलाड़ियों के लिए भी उनकी पाबन्दी आवश्यक है।

स- जिन खेलों के बारे में हदीसों में प्रोत्साहन आया है वे सही हैं इनके अलावा प्रचलित खेलों में जो उपरोक्त उल्लेखित उसूलों के अनुसार हों वे जायज़ हैं।

द- खेल की हार जीत में पैसे की शर्त यदि एक पक्षीय हो या किसी तीसरे पक्ष की ओर से हो तो जायज़ है और यदि शर्त दोनों की ओर से हो तो नाजायज़ है।

ध- समय मानव जीवन की बहुमूल्य धरोहर है अतः शरीअत की नज़र में कोई भी ऐसा खेल अप्रियता से ख़ाली न होगा जो अपने तरीक़े और लिबास की दृष्टि से तो बुराइयों पर आधारित न हो लेकिन इसमें खेलने या देखने वालों का काफ़ी समय बर्बाद होता हो।

न- जो खेल जायज़ हैं उन्हें देखने और उनके टिकट खरीदने की गुंजाइश है।

व- जो लोग खेल में शरीक नहीं हैं लेकिन किसी पक्ष या व्यक्ति के जीतने पर आपस में पैसों की बाज़ी लगाएं तो यह भी जुवा में दाखिल है और हराम भी है।

ह- खेल की कुछ समय की तफ़रीह की हद तक तो गुंजाइश है, मगर इसे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य बना लेना जायज़ नहीं है।

ल- शिक्षा व काम धंधों की जायज़ गतिविधियों को छोड़ कर अपने आपको खेल के लिए ख़ास कर देना उचित नहीं है।

☆☆☆